हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 CPC प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी राधेश्याम का 11/7/24 को निधन हो गया है अतः विधिक वारिसान के रूप में पुत्रों हेमन्त कुमार व योगेश कुमार को बतौर वादी पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की जावे। (1) प्रतिवादीगण (5) लगायत (7) द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मृतक वादी राधेश्याम के वारिसान में दोनों वादीगण के अतिरिक्त तीन पुत्रियाँ कमलेश, सुनीता, राजकिशोरी व पत्नी पुष्पचन्द्रा भी है। प्रार्थीगण द्वारा सभी वारिसान को कायम मुकाम बनाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अपूर्ण होने से खारिज किया जावे। (1) प्रार्थनापत्र पर बहस वकलाय उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	वादीगण मीणा जनजाति [illegible] पुत्रों के रहते पत्नी व पुत्री को प्राप्त नहीं है।
	विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण [illegible] है कि आवेदन प्रार्थनापत्र में तथ्य छुपाया है, प्रार्थनापत्र में बहनों का हवाला नहीं दिया है। जबकि जमाबन्दी में अन्य बहनों का नाम अंकित है।
	(4) हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस वकलाय फरीकैन पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
	(5) पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद विभाजन का है, जिसे वादीगण का आवेदन खारिज कर निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अपूर्णता के आधार प्रार्थनापत्र निरस्त करने का अनुरोध खारिज किया जाता है।
3	(6) प्रार्थीगण का कथन रहा है कि प्रार्थीगण

...भा जनजाति से है, जिसमें बहनों को अधिकार प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मृतक वादी रावकैलाश के कायम मुकामान निर्धारित करने बाबत है, कायम मुकामान के हकों का निर्धारण इस स्तर पर किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर हम वादीगण का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादी क्रम (1) व (2) के रूप में रिकार्ड पर लिया जाता है, तथा प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर वादी की तीनों पुत्रियों व पत्नी को वादी क्रम (3) लगायत (6) के रूप में रिकार्ड पर लिया जाता है। यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वादी के रूप में रिकार्ड पर लिये जाने का हकों के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रत्येक पक्षकार के हकों का निर्णय साक्ष्य व सुनवाई उपरान्त होगा। पत्रावली वास्ते संशोधित टाइटल दि. 30/05/25 को पेश हो।